लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भाग–दो(अ)

गंभीर वित्तीय अनियमिततायें

कण्डिका 1 :– निविदाकार को सुरक्षा सेवा कार्य की बैंक गारण्टी राशि एवं अनुबंध पत्र की मूल प्रति अनियमित रूप से वापिस करना राशि ₹ 5,72,033/–।

SAO

भारतीय कृषि अनुसधांन परिषद, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर में सुरक्षा सेवा के कार्य हेतु सेवा अवधि एक वर्ष की अनुबंध की तिथि से निविदा सूचना क्रमांक GEM/2021/B/1395322 दिनांक 30.07.2021 को आमंत्रित की गई थी। निविदा में भाग लेने की अंतिम तिथि 09.08.2021 निर्धारित थी तथा निविदा खोलने की तिथि 09.08.2021 शाम 07.30 बजे निधारित की गई थी। जिसमें निविदा की वैधता अवधि 30 दिन रखी गई थी। निविदा में सुरक्षा सेवा कार्य की अनुमानित लागत राशि ₹ 55.00 लाख थी। सुरक्षा सेवा कार्य हेतु 15 सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता थी। निविदा में सुरक्षा निधि राशि 2 प्रतिशत अर्थात् ₹1,10,000/– एवं परफॉर्मेन्स सिक्युरिटी 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 5,50,000/– जमा किया जाना था। क्रय सलाहकार समिति द्वारा उपरोक्त निविदा के लिए न्यूनतम सेवा शुल्क 5 प्रतिशत रखने की अनुशंसा की गई थी।

संस्थान के सुरक्षा सेवा कार्य से संबंधित फाईल एवं अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा नमूना जाँच में पाया गया है कि मेसर्स राज सिक्युरिटी फोर्स, भोपाल के द्वारा सुरक्षा सेवा कार्य का अनुबंध दिनांक 25.08.2021 को संस्थान में आकर किया गया तथा सुरक्षा सेवा कार्य की राशि ₹ 57,20,334/– की 10 प्रतिशत राशि ₹ 5,72,033/– को निदेशक, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर के नाम से इंडियन ओवरसीज बैंक, रायसेन रोड, भोपाल की बैंक गारण्टी क्रमांक 15737112100001 राशि ₹ 5,12,033/– दिनांक 23.08.2021 की गई थी। 59

मेसर्स राज सिक्युरिटी फोर्स, भोपाल के द्वारा पत्र क्रमांक RSF/BPL/2021-22/368 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा ई.पी.एफ. चालान वर्ष 2020–21 एवं संस्थान के पत्र क्रमांक 1(4)/2021–22–प्रशासन दिनांक 26.08.2021 (ईमेल) के संबंध में लिखा गया है कि विषेश पुलिस महानिदेषक, राज्य पुलिस महानिदेषक, ए.जी. सुरक्षा एजेन्सीज, मुख्यालय भोपाल के आदेश दिनांक 01.10.2016 के अनुसार समस्त प्राइवेट सिक्युरिटी एजेन्सियों को प्राईवेट

लिमिटेड के कम्पनी एक्ट परिवर्तित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस कारण हमारी संस्था के दस्तावेजों में यथा ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. के पंजीयन में परिवर्तन कराया है।

फर्म द्वारा प्रथम देयक प्रस्तुत करने पर देयकों के साथ संलग्न होने वाले समस्त दस्तावेज राज सिक्युरिटी फोर्स, भोपाल के नाम से ही प्रस्तुत करने हेतु फर्म वचनबद्ध है अन्यथा की स्थिति में कार्यालय को देयकों का भुगतान रोकने का अधिकार होगा तथा फर्म को उक्त सुरक्षा सेवा कार्य करने हेतु कार्यादेश दिनांक 01.09.2021 के द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाने हेतु निवेदन किया गया है। किन्तु क्रय सलाहकार समिति की बैठक में दिनांक 27.08.2021 एवं 28.08.2021 में संस्था के द्वारा मांगे गये अभिलेखों जैसे ई.पी.एफ., जी.एस.टी., ई.सी.आई.एस. भिन्न–भिन्न होने के कारण या ई.पी.एफ. कार्यालय में ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत फर्मो की जाँच करने पर पाया गया है कि मेसर्स राज सिक्युरिटी फोर्स नाम की कोई फर्म पंजीकृत नही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाकर्ता सरकारी तंत्र को गुमराह कर रही है तथा समिति द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए जैम द्वारा आमंत्रित निविदा BID/RA/PR No.-GEM/2021/1395322 का कार्यादेश संख्या GEM C-511687731113725 को निरस्त किया गया तथा बैंक गारण्टी एवं अनुबंध पत्र की मूल प्रति निविदाकार को दिनांक 24.09.2021 वापिस किया गया है। जबकि सुरक्षा सेवा कार्य हेतु निविदाकार मेसर्स राज सिक्युरिटी फोर्स, भोपाल के द्वारा संस्थान के द्वारा मांगे गये दस्तावेज अन्य एजेन्सी के नाम के जमा किया गया एवं सरकारी तंत्र को गुमराह किया जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए तथा पुलिस में धोखाधड़ी (420) का केस एफ.आई.आर. दर्ज कराया जाना चाहिए। सुरक्षा सेवा कार्य हेतु उनके द्वारा जमा की गई बैंक गारण्टी की राशि ₹ 5,72,033/– को राजसात करके भारत सरकार/राज्य सरकार/जैम को पत्र लिखकर संस्था को प्रतिबंधित सूची में डालने हेतु कार्यवाही की जाना चाहिए थी। जबकि संस्थान के द्वारा निविदाकार के विरूद्ध कोई कार्यवाई नहीं करते हुए बैंक गारण्टी राशि ₹ 5,72,033 एवं अनुबंध की मूल प्रति वापिस की गई है, जिससे गंभीर वित्तीय अनयिमितता किया जाना प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में आपत्ति इंगित किए जाने पर प्रभारी निदेशक महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि सुरक्षा सेवाओं के लिए जैम पर आर्डर जारी किया गया था । अनुबन्ध पर हस्ताक्षर होने के पूर्व कार्यालय द्वारा प्रशासनिक कारणों से आर्डर निरस्त किया गया था अतः कार्यालय द्वारा सम्बन्धित की सुरक्षा निधि जब्त नही की गई ।

लेखा परीक्षा में संस्थान का उत्तर मान्य नही है क्योकि निविदा स्वीकृत करने के पश्चात् निविदाकार के द्वारा बैंक गारंटी एवं अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर सहित संस्थान में कार्यादेश जारी करने हेतु प्रस्तुत किए जा चुके थे जिसके पश्चात् निविदा को अनियमित रूप से निरस्त कर बैंक गारंटी की राशि एवं अनुबन्ध पत्र मूलतः निविदाकार को वापस कर दिया गया ।

यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो(ब)

अन्य वित्तीय अनियमिततायें

कण्डिका 2 :– संस्थान के अन्तर्गत स्पान्सर्ड प्रोजेक्ट/स्कीम की राशि व्यय नही करना ₹ 344.56 लाख ।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 238(4) के अनुसार केन्द्रीय स्वायत्त संस्थाओं में विभिन्न प्राजेक्टों के अधीन प्राप्त अनुदान राशि व्यय होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान जारी कर्ता अधिकारी को प्रेषित करेगा । नियम सं. 242(2) के अनुसार यदि कोई अनुदान परफार्मेन्स आधारित प्रदाय किया गया हो, तब उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ प्रफार्मेंस एचीवमेन्ट रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी संलग्न की जानी चाहिए ।

साथ ही सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 57(7) के अनुसार केन्द्र सरकार के विभाग विभागाध्यक्षों और उनके अधीन अन्य प्राधिकारियों से ऐसे विवरण भी प्राप्त करेंगे जिनमें उन स्कीमों की भौतिक प्रगति भी दर्शायी गयी हो जिनके लिए वे जिम्मेदार है। इस विवरण में स्कीम का नाम, प्रत्येक स्कीम के लिए बजट प्रावधान, प्रत्येक स्कीम पर प्रगामी व्यय, भौतिक संदर्भ में स्कीम की प्रगति और भौतिक और वित्तीय – दोनों लक्ष्यों के संदर्भ में, यदि कोई अल्पता या आधिक्य हो, तो उसके कारणों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा ।

कार्यालय निदेशक, भारतीय कृषि अनुसधांन परिषद, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखे के शिड्यूल 4 के सब शिड्यूल जिसमें संस्थान के अन्तर्गत स्पान्सर्ड प्रोजेक्टों/स्कीमों के अन्तर्गत व्यय की गई राशि की समीक्षा करने पर यह ज्ञात हुआ कि संस्थान द्वारा वित वर्ष 2020–21 में 25 स्पान्सर्ड प्रोजेक्टों/स्कीमों के अन्तर्गत कुल उपलब्ध राशि ₹ 821.22 लाख के विरूद्ध ₹ 476.66 लाख का व्यय किया गया एवं राशि ₹ 344.56 लाख का व्यय नही किया गया । संस्थान के अन्तर्गत 25 स्पान्सर्ड प्रोजेक्टों/स्कीमों में से 11 स्पान्सर्ड प्रोजेक्ट/स्कीम ऐसी हैं जिनमें वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राषि का 75 प्रतिशत से भी कम राशि का व्यय किया गया है एवं कुल मिलाकर उपलब्ध राशि का लगभग 19 प्रतिशत व्यय किया गया है *(जिसका विवरण **अनुलग्नक ख** में दर्शाया गया है)*।

आपत्ति इंगित करने पर संस्थान ने अपने उत्तर में बताया कि सरल क्रमांक 1 व 2 पर दर्शित परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं इनकी शेष राशि सम्बन्धित विभाग को वापिस कर दी जाएगी । सरल क्रमांक 3 से 11 पर दर्शित परियोजनाएँ निरन्तर चल रही हैं। परियोजना पूर्ण होने पर राशि का विवरण सम्बन्धित प्रभारी द्वारा दिया जाता है तत्पश्चात् शेष राशि का निपटान सम्बन्धित विभाग को कर दिया जाता है ।

संस्थान का उत्तर लेखा परीक्षा में मान्य नही है, क्योंकि परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् शेष बची राशि को वापिस किया जाना अपेक्षित था ।

यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

कण्डिका 3:– उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के उद्देश्य से छोटे–छोटे समूहों में अनियमित रूप से क्रय करना राशि ₹ 47.20 लाख ।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम संख्या 155 (खरीद समिति द्वारा माल की खरीद) के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ₹25000/– रूपए (पच्चीस हजार रूपए मात्र) से अधिक और 250000/–(दो लाख पचास हजार रूपए मात्र) तक के माल की खरीद विधिवत गठित स्थानीय खरीद समिति, जिसमें विभागाध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपयुक्त स्तर के तीन सदस्य हों, की सिफारिशों के आधार पर की जा सकती है । यह समिति, दर औचित्य, गुणवत्ता और विनिर्देश का पता लगाने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता की पहचान करेगी ।

एवं सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम संख्या 157 के अनुसार कुल मांग के अनुमानित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने की अनिवार्यता से बचने के उद्देश्य से छोटे–छोटे हिस्सों में खरीद करने के लिए माल की किसी मांग को थोड़ी थोड़ी मात्राओं में विभाजित न किया जाए ।

कार्यालय निदेशक, भारतीय कृषि अनुसधांन परिषद भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर में लेखा परीक्षा अवधि माह अप्रेल 2018 से माह अक्टूबर 2021 तक की अवधि में क्रय से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में रसायन से सम्बन्धित खरीदी क्रमशः 17, 29 एवं 6 बार की गई है। जिसमें इन वर्षों में क्रमशः ₹ 2402442, ₹ 7693481 एवं ₹ 3455461 की खरीदी की गई है। इस प्रकार इन तीन वित्त वर्षों में कुल मिलाकर ₹ 13551384 की खरीदी रसायन से सम्बन्धित है।

इसके अतिरिक्त उक्त सभी खरीदी जैम पोर्टल का उपयोग किए बिना की गई हैं । साथ ही उक्त जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालय द्वारा रसायन खरीद में उच्चतर प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने की अनिवार्यता से बचने के उद्देश्य से छोटे–छोटे हिस्सों में खरीद करने के लिए रसायन की मांग को थोड़ी थोड़ी मात्राओं में विभाजित किया गया है । आपत्ति इंगित करने पर संस्थान ने अपने उत्तर में बताया कि दी गई सूची में उल्लिखित रसायन एवं ग्लासवेयर विभिन्न फर्म से किए गए रेट कान्ट्रेक्ट के जरिए किए गए । सरल क्रमांक 3, 10, 37 एवं 46 पर अंकित उपकरण ओपन टेण्डर द्वारा क्रय किए गए ।

लेखा परीक्षा में उत्तर मान्य नही है क्योंकि रेट कान्ट्रेक्ट दिनांक 05.11.2019 को किया गया है जबकि लेखा परीक्षा द्वारा ली गई आपत्ति में माह अप्रैल 2018 से खरीदी गई सामग्री को शामिल किया गया है । अतः माह नवम्बर 2019 के पष्चात् क्रय की गई सामग्री को विलोपित कर दिया गया है परन्तु माह नवम्बर 2019 से पहले क्रय की गई सामग्री की राशि ₹ 4720431 (*विवरण **अनुलग्नक–ग** में दर्शाया गया है ।*) अनियमित रूप से व्यय की गई है ।

यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में जाया जाता है।

कण्डिका 4 :– **Regarding procurement of Goods other than GeM Portal.**

As per rule 149 of GFR 2017, the Government e-Market place (GeM) portal shall be utilized by the government buyers for direct on-line purchase as under:-

i. Up to ₹ 25,000/- through any of the available suppliers on the GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period.

ii. Above ₹ 25,000/- and up to ₹ 5,00,000/- through the GeM Seller having lowest price amongst the available sellers (excluding the automobiles where the current limit of ₹ 30 Lakh will continue) of at least three different manufacturers, on GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period. The tools for online bidding and online reverse auction available on GeM can be used by the Buyer even for the procurement less than ₹ 5,00,000.

iii. Above ₹ 5,00,000/- through the supplier having lowest price meeting the requisite quality, specification and delivery period after mandatorily obtaining bids, using online bidding or reverse auction tool provided on GeM (excluding the automobiles where the current limit of ₹ 30 Lakh will continue).

On scrutiny of the information/records available in relation to purchase of office of the Director, Indian Institute of Soyabean Reserch, Indore, it wasnoticed that the office has made 24, 14 & 13 purchases in the FY 2018-19, 2019-20 & 2020-21 respectively where price of Items was more than ₹ 25000 and procurement was made from other than GeM Platform (***as detailed in Annexure -D***). Out of these purchases value of three items was more than ₹ 5 lakhs each. Total Price of items purchased in FY 2018-19, 2019-20 & 2020-21 through platform other than GeM was to the tune of a total of ₹ 2848883, ₹ 2381978 & ₹ 1086911 respectively.

Items valuing more than ***₹ 5,00,000/-*** could have been purchased through open market tendering process in case of non- availability on GeM portal.

आपत्ति इंगित किए जाने पर प्रभारी निदेषक महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि दी गई सूची में अंकित उपकरण/सामग्री ओपन टेण्डर अथवा सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम संख्या 155 के अनुसार स्थानीय समिति का गठन कर क्रय की गई थी ।

लेखा परीक्षा में उत्तर मान्य नही है, क्योंकि उक्त सामग्री की जैम पर अनुपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सम्बन्धित अभिलेखों में नही पाए गए ।

यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में जाया जाता है।

कण्डिका 5 :– वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 की अवधि में व्यपगत होने से बचने के लिए अंतिम दिवस में अनियमित व्यय राशि ₹ 429.31 लाख।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम–62 (2) के अनुसार जिन बचतों तथा प्रावधानों का लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता है के बारे में पूर्वानुमान होते ही वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किये बगैर उन्हें तत्काल सरकार को वापिस सौंप दिया जाएगा। किसी भी बचत को भविष्य के किसी संभावित आधिक्यों के लिए आरक्षित नहीं रखा जाएगा।

साथ ही सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम–62(3) के अनुसार जल्दी–जल्दी व्यय करना, विशेष तौर पर वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय करना, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा और इससे बचा जाए। मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार निर्धारित मासिक व्यय योजना और इस संबंध में आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

कार्यालय निदेशक, भारतीय कृषि अनुसधांन परिषद , भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर के वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक के वार्षिक लेखों एवं रोकड़ बही की सामान्य लेखा परीक्षा नमूना जॉच में पाया गया है कि संस्थान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक की अवधि में माह मार्च के अन्तिम दिनों में 20 मार्च से 31 मार्च तक राशि ₹ 42930685 के 222 चैक जारी किये गये थे जिनको 31 मार्च तक सम्बन्धित फर्म या व्यक्तियों के द्वारा बैंक में नहीं भुनाया गया है ।

जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	वर्ष	जारी किए गए चैकों की संख्या	भुनाए न गए चैकों की राशि
1	2018–19	79	27846788
2	2019–20	95	8189377
3	2020–21	48	6894524
	कुल	**222**	**42930685**

अतः संस्थान के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम–62(2) एवं 62(3) का पालन नहीं किया गया है तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवसों में बजट राषि को व्यपगत होने से बचने के लिए बिना आवश्यकता के भी चैक जारी करके व्यय किया गया है। जिसके फलस्वरूप संबंधित कार्य/ संस्था/व्यक्तियों के द्वारा जारी किये गये चैकों का नगदीकरण नहीं कराया गया है, जबकि संस्थान के वार्षिक लेखों एवं रोकड़ बही के अनुसार व्यय किया जाना दर्शाया गया है।

इस सम्बन्ध में आपत्ति इंगित किए जाने पर निदेशक महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2018–19 में किए गए भुगतान दिनांक 27, 28, 29, 30, 31 मार्च के बीच किए गए थे । 30 व 31 मार्च को शनिवार और रविवार अवकाष होने के कारण सभी भुगतान अप्रेल 2019 के प्रथम सप्ताह में पारित हो गए थे । वित्त वर्ष 2019–20 में दिनांक 21.03.2020 से 29.03.2020 तक किए गए सभी भुगतान, कोविड महामारी आने के

कारण बैंकों द्वारा सुविधानुसार किए गए थे । संस्थान पर किसी भी प्रकार का बकाया भुगतान न रहने के कारण वर्ष के अन्तिम दिवस में पूर्ण भुगतान कर दिए जाते है ।

लेखा परीक्षा में संस्थान का उत्तर मान्य नही है, क्योंकि सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम–62(2) एवं 62(3) का पालन नही किया गया ।

यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

कण्डिका 6 :– केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम भुगतान का समायोजन लम्बित रहना राशि ₹ 28.94 लाख ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लेखा परीक्षा मैन्युअल 2015 के अध्याय 24 के नियम सं. 24.3.1 के अनुसार परिषद / संस्थानों द्वारा सी पी डब्ल्यू डी आदि को सौंपे गए विशिष्ट कार्यों के लिए किए गए अगिम भुगतान को सीधे सम्बन्धित योजना या खाते के अन्तिम शीर्ष में से डेबिट कर दिया जावेगा । तथापि उनके अन्तिम समायोजन को ऑबजेक्शन बुक या इसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए अन्य रजिस्टर के माध्यम से किया जाना चाहिए । वापस प्राप्त किसी भी अव्ययित शेष राशि को सम्बन्धित योजना के तहत व्यय में कमी के रूप में दिखाया जाएगा और इसे खाते के अन्तिम शीर्ष के तहत भी व्यय में कमी के रूप में दिखाया जाएगा यदि यह उसी वर्ष के दौरान प्राप्त होती है । वित्त वर्ष में परिवर्तन के मामले में इसे विविध प्राप्तियों के रूप में हिसाब में लिया जावेगा ।

जबकि नियम सं. 24.3.2 के अनुसार सी पी डब्ल्यू डी की एजेन्सी के माध्यम से किए जाने वाले निर्माण कार्यक्रमों के मामले में भारत सरकार, कार्य महानिदेशक, सी पी डब्ल्यू डी द्वारा सहमति व्यक्त की गई है कि ऐसे कार्य की पूरी अनुमानित लागत राशि जमा करने के बजाय निम्नानुसार भी राशि जमा की जा सकती है :–

पहली किश्त के रूप में 33.33 प्रतिशत जमा करें, उसके बाद किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यों की प्रगति के अनुसार मासिक बिलों के माध्यम से की जाएगी । पहली किश्त की जमा राशि अर्थात् 33.33 प्रतिशत अनुमानित व्यय के अन्तिम भाग के समायोजन के लिए रखी जाएगी ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संहिता 2014 के बिन्दु संख्या 16.2.1 के नीचे दिए टीप के अनुसार डिपोजिट वर्क में कुल स्वीकृत प्राक्कलन का 33.33 प्रतिषत राषि के बराबर ही अग्रिम के रूप में जारी किया जाना चाहिए तथा अन्य शेष राषि की प्रतिपूर्ति कार्यों के मूल्यांकन के उपरान्त देयकों के प्रस्तुत होने पर की जानी चाहिए ।

कार्यालय निदेशक, भारतीय कृषि अनुसधांन परिषद, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर के द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए गए डिपोजिट वर्क्स से सम्बन्धित अभिलेखों/दस्तावेजों की समीक्षा में पाया गया कि कार्यालय द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु माह मार्च 2007 से मार्च 2017 के मध्य योजना, गैर योजना एवं अन्य योजना मदों में कुल राषि रू. 14465532 का अग्रिम भुगतान किया

गया जिसमें से राषि रू. 7213510 का समायोजन माह अक्टूबर 2021 की स्थिति में किया गया है शेष रा
7252022 का समायोजन अभी तक लम्बित है *(विवरण **अनुलग्नक–घ** में दर्शाया गया है)* ।

इस सम्बन्ध मे आपत्ति इंगित किए जाने पर प्रभारी निदेशक महोदया ने उत्तर दिया कि दी गई सूची के
सरल क्रमांक 5,6,8,15 एवं 16 पर दर्शायी गयी राशि का समायोजन कर लिया गया है, शेष राशि ₹ 2893820 के
समायोजन हेतु कार्रवाई की जावेगी ।

शेष राशि ₹ 2893820 के समायोजन की कार्रवाई कर आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करावें।

इस प्रकरण में अन्तिम कार्यवाही लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है।